

सुपरीम नॉन
रिजल्ट करे
26/10/2015
Ph. 23236351, 23232701, 23237721
23234116, 23235733, 23232317
23236735, 23239437, 23239627

Extension No. 413 (CPP-I Colleges)
UGC Website: www.ugc.ac.in
F. No. 8-335/2015 (CPP-1/C)



SPEED POST

विरवविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली-110 002
UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI-110 002

October, 2015

The Registrar,
Maharaja Ganga Singh University
NH 15, Jaisalmer Road, Bikaner - 334 004
Rajasthan

13 OCT 2015

Sub: - Recognition of College under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to the letter no. F16/GLCG/316 dated 27.06.2015 received from the Principal, Government Law College, Sriganganagar - 335 001, Rajasthan on the above subject and to say that it is noted that the following college is aided and temporarily affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. I am further to say that the name of the following college has been included in the list of colleges prepared under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956 under the head 'Government Colleges teaching upto Master's Degree':-

Name of the College	Year of Establishment	Remarks
Government Law College, Sriganganagar - 335 001, Rajasthan.	2005	The college does not fulfill the requirement of permanent affiliation. Therefore, the college is not eligible to receive Central assistance under Section 12 (B) of the UGC Act, 1956.

The documents submitted in respect of the above College have been accepted by the University Grants Commission.

Yours faithfully,

(Charan Dass)
Under Secretary

Copy to:-

1. The Principal, Government Law College, Sriganganagar - 335 001, Rajasthan.
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education & Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi - 110 001
3. The Principal, Secretary (Higher Education) Govt. of Rajasthan Secretariat, Room No. 19-A, SSO Building, North-East Building Jaipur - 302 005.
4. Education Officer, UGC Central Regional Office, Tawa Complex, Bittan Market E-5, Arera Colony, Bhopal - 462 016.
5. Publication Officer, (UGC-Website), New Delhi.
6. Section Officer (F.D.-III Section) U.G.C., New Delhi.
7. Guard file.

(Rita Chhabra)
Section Officer

रिजल्ट करे
प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
श्रीगंगानगर (राज.)



राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

आयुक्त पत्रिका (15) लिखा/आकाशि/05/12.63

दिनांक : 12 मई 2005

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय

श्रीगंगानगर

वार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार राज्य के कतिपय महाविद्यालयों में संचालित विधि संकाय को स्वतंत्र महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। चूंकि अभी इन महाविद्यालयों हेतु पृथक भवन बनाना सम्भव नहीं है अतः यह महाविद्यालय, वर्तमान भवन में ही स्वतंत्र महाविद्यालय के रूप में संचालित होंगे। यह व्यवस्था स्वतंत्र भवन उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं को अग्रक्रम कार्यवाही सुनिश्चित करें-

1. वर्तमान भवन का एक हिस्सा विधि महाविद्यालय हेतु तय करके उस पर राजकीय विधि महाविद्यालय का बोर्ड लगाया जावे।
2. इस स्वतंत्र भवन का एक नक्शा बना कर डी.सी.आइ. को भेजने हेतु प्रस्तुत करें।
3. महाविद्यालय में प्राचार्य का स्थान पर सुनिश्चित होना एवं नियमित प्राचार्य उपलब्ध होने तक महाविद्यालय में विधि संकाय को वरिष्ठतम व्याख्याता को "कार्यवाहक प्राचार्य" के रूप में पुनर्स्थापित किया जावेगा।
4. विधि महाविद्यालय का पृथक पी.डी. एकाउन्ट होगा। इस पी.डी. एकाउन्ट का संचारण करने हेतु कार्यवाहक प्राचार्य को जी.एफ. एण्ड ए.आर. के नियम-3 के अनुसार अधिकार सिद्धे जावेगे।
5. वर्तमान महाविद्यालय के 10% कोष से विधि के छात्रों की संख्या के आधार पर आनुपातिक राशि विधि महाविद्यालय के पी.डी. खाते में स्थानांतरित की जावे।
6. विधि महाविद्यालय में पृथक से "मूट कोर्ट" की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
7. विधि महाविद्यालय में पृथक पुस्तकालय की स्थापना कर विद्यमान महाविद्यालय से विधि की सम्स्त पुस्तकें, पत्रिकाएँ आदि विधि महाविद्यालय पुस्तकालय में स्थानांतरित की जावे।
8. विधि महाविद्यालय के कार्यालय, पुस्तकालय एवं कक्षाओं हेतु फर्नीचर, कम्प्यूटर, रटेशनर्स आदि की व्यवस्था वर्तमान महाविद्यालय द्वारा की जावेगी।
9. एक लिपिक एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्तमान महाविद्यालय से विधि महाविद्यालय में लगाये जावे।
10. विधि महाविद्यालय प्रातः 7.00 बजे से 12.30 बजे अपरान्ह तक संचालित होगा।

125
आयुक्त

कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

12977-14

प्राचार्य

राजकीय विधि महाविद्यालय
श्रीगंगानगर (राज.)